**<u>शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध</u>**

**<u>संख्या-10/2016/ए-1-21ए0जी0/दस-2016-10(38)/2011</u>**

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**वित्त (लेखा) अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2016**

**विषय : अनावर्ती सहायक अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक श्री प्रेम चन्द्र, उप महालेखाकार/राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रांक-टी0एम0-II/ग्रुप-IV/अनावर्ती अनुदान/15722, दिनांक 03-06-2016 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के चतुर्थ चरण के लेखा मिलान के समय तक किसी भी प्रतिनिधि द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि इसी सम्बन्ध में शासन के आदेश संख्या-8/2016/ए-1-376/दस-2016-10(38)/2011, दिनांक 02 मई, 2016 द्वारा निर्देश भी जारी किये गये थें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी/आहरण-वितरण अधिकारी आगामी लेखा मिलान के समय अपने अधीनस्थ प्रतिनिधि के साथ वर्ष 2001-02 से 2015-16 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से महालेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत कर दें ताकि उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन करके उनके द्वारा वस्तुस्थिति से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अवगत कराया जा सके। अवगत कराना है कि महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर विभागवार लम्बित सहायता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदानों की विस्तृत सूची प्रत्येक माह प्रदर्शित की जाती है व लम्बित ए0सी0 बिलों की अद्यतन स्थिति (03/2016) भी उक्त वर्णित वेबसाइट पर होस्ट कर दी गयी है।

3- इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त नियंत्रक अधिकारियों को यह भी निदेशित कर दें कि उनके द्वारा समयानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं ए0सी0 बिल के सापेक्ष डी0सी0 बिल प्रस्तुत कर समायोजन न करा सकने की स्थिति में वे व्यक्तिगत् रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
मुकेश मित्तल
सचिव।

**संख्या-10/2016/ए-1-21ए0जी0(1)/दस-2016-10(38)/2011, तददिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(3) उप महालेखाकार/राजकोष (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके पत्रांक-टी0एम0-।।/ग्रुप-IV/अनावर्ती अनुदान/15722, दिनांक 03-06-2016 के क्रम में।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।